

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

10न0 -199 / 2025

नवान : -

1. दीक्षा उम्र 11 वर्ष } पिसरान कालूराम हर दोनो नाबालिगान
2. जतिन उम्र 8 वर्ष } जरिए वली कुदरती माता सुमन पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी
मुन्सरी हाल निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
:-वादीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील
वादीगण श्री सुनील बैनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु
प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि
रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 144/148 के खसरा सं० 100 की 2.5290 हैक्टर,
खसरा सं० 130 की 3.3890 हैक्टर, खसरा सं० 177 की 1.2650 हैक्टर, खसरा सं० 339/4 की
2.5290 हैक्टर, खसरा सं० 470/130 की 2.1120 हैक्टर, खसरा सं० 50/1 की 0.5060 हैक्टर,
खसरा सं० 79/1 की 3.0350 हैक्टर बारानी कुल खसरा 7 की 15.3650 हैक्टर बारानी कृषि
भूमि में वादीगण के पिता प्रतिवादी सं० 1 कालूराम के नाम 1/25 हिस्सा कृषि भूमि में वादी
संख्या 1 दीक्षा एवं वादी संख्या 2 जतिन एवं प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम को बहिस्सा बराबर के
अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के
उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।
खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा
से जारी की गई।



(भागीरथ राम)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व, R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़

